Order Sheet [Contd]

Case No. 4896 .of 2023. . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03-02-26	**यूएनसीआर–**4896**/2023** परिवादी द्वारा/सहित उसके अधि0 उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण न्यायशुल्क प्रस्तुति एवं दस्तावेज प्रस्तुति तथा पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवादी के द्वारा परिवाद के साथ न्यायशुल्क एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, परिवादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी आज दिनांक तक उसके द्वारा न्यायशुल्क एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे दर्शित है कि परिवादी को प्रकरण के निराकरण में कोई विशेष रूचि नहीं है। परिवादी को पूर्व पेशी दिनांक पर न्यायशुल्क व मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी परिवादी द्वारा आज न्याय शुल्क व मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत **परिवाद खारिज** किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। (श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (म0प्र0)	